103

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0प्र0)

निग – 1541 – I – 16

प्रकरण क्रमांक– /2016 निगरानी

दिनांक 18-5-16 को श्री जितेन्द्र दीक्षित अभि० द्वारा प्रस्तुत।
18-5-16
SO

1. मातादीन पुत्र स्व0श्री बाबूलाल, आयु–58वर्ष, व्यवसाय–कृषि
2. रामभजन पुत्र स्व0श्री बाबूलाल, आयु–43वर्ष,व्यवसाय–कृषि
3. शीतल प्रसाद पुत्र श्री रामसुन्दर आयु–55वर्ष,व्यवसाय–कृषि
4. रामवीर पुत्र श्री रामसुन्दर आयु–41वर्ष, व्यवसाय–कृषि

समस्त जाति–ब्राहम्ण, समस्त निवासीगण–ग्राम खड़ियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0

----*आवेदकगण*

बनाम

1. श्रीमती ज्ञानदेवी उर्फ ग्यादेवी पुत्री स्व0श्री द्वारिका प्रसाद शुल्का पत्नी श्री केशव सिंह दण्डौतिया, आयु–48वर्ष, जाति–ब्राहम्ण, व्यवसाय–गृहणी, निवासी–छत्तर पंचम के बाड़े के पास, महावीरपुरा, मुरैना (म0प्र0)

2. नत्थीलाल पुत्र श्री सिरदार, जाति–जाटव, निवासी–ग्राम खड़ियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0
3. रामअवतार पुत्र श्री शिवनारायण, आयु–60वर्ष, जाति–ब्राहम्ण, निवासी–ग्राम खड़ियाहार, तहसील अम्बाह जिला मुरैना म0प्र0
4. श्रीमती कपूरीबाई पुत्री स्व0श्री द्वारिका प्रसाद शुक्ला, पत्नी श्री रामकिशोर राजौरिया, आयु–59वर्ष, निवासी–ग्राम मुढ़िया खेरा, परगना व जिला मुरैना म0प्र0

----अनावेदकगण

निगरानी आवेदन–पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता विरूद्ध प्रकरण क्रमांक–12/2014–15/अ–27 श्रीमती ग्यानदेवी उर्फ ग्यादेवी विरूद्ध नत्थीलाल एवं अन्य में पारित आदेश दिनांकी 06.05.2016 जिसके द्वारा आवेदकगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 32 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता वास्ते प्रकरण के लम्बित रहने के दौरान कार्यवाही स्थगित किये जाने का निराकरण न कर पूर्व में निराकरण कर निरस्त किया गया, से दुखित होकर।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत हैं:–

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 1541–एक/2016 जिला –मुरैना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
24–10–17	आवेदकगण के अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा उपस्थित। अनावेदकगण की ओर से श्री श्रीकृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदकगण के अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना 12/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2016 के विरूद्व म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अर्न्तगत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का सरांश इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती ग्यानदेवी उर्फ ग्यादेवी पुत्री स्व0 द्वारिका प्रसाद शुक्ला पत्नी श्री केशव सिंह डण्डोतिया निवासी खडियाहर तहसील अम्बाह हाल निवासी छत्तर पंचम के बाडे के पास महाबीर पुरा मुरैना की ओर से म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के अन्तर्गत ग्राम खडियाहर के खातों में से कुल किता 6 रकवा 1.746 है0 के भाग 9/80 में से 1/2 बटवारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। इश्तहार जारी किया। अनावेदकगण को सूचना दी। दिनांक 22.1.16 को धारा 32 के आवेदन पर सर्वे कमांक 883 के संबंध में सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिया गया। दिनांक 6.5.16 को पुनः धारा–32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जो तहसीलदार द्वारा निरस्त कियां जाकर आदेश दिया गया कि दिनांक 22.1.16 को धारा –32 के आवेदन पर	

सुनबाई हो चुकी है। अब कोई औचित्य नहीं होने के कारण निरस्त किया गया। इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.1.16 को धारा–32 के आवेदन पर सुनवाई की जा चुकी थी, दिनांक 6.5.16 को पुनः धारा–32 का आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

4– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार द्वारा दिनांक 22.1.16 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया मुरैना से सर्वे नम्बर बंधक के संबंध में जानकारी चाही गई एवं फर्द बटवारे हेतु आदेशित किया गया था। वर्तमान में तहसीलदार अम्बाह जिला मुरैना के यहां कार्यवाही संचालित है, जहां पर उभयपक्ष को पूर्ण सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर है। तहसीलदार तहसील अम्बाह जिला मुरैना 12/अ–27/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 6.5.2016 उचित होने से स्थिर रखा जाता है, तथा आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालयों को भेजी जावे। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य